FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

अपील खारिज 27.9.19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रामा पुत्र पीथा रावत बनाम प्रभात पुत्र भीमा रावत नि० ग्रा. कुवाली तह. व जिला कुवाली तह. व जिला अजमेर

किस्म मुकदमा अजमेर । नम्बर 355 सन् 2019 (अजमेर)

225 आर.टी.एक्ट

2019/00355

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री श्रीमती पूनम माथुर श्री	
27/9/19	यह अपील विद्वान अभिभाषक श्रीमती पूनम माथुर ने विद्वान अधी0न्याया0 सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 17.9.2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज0काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई । अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया, जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षकारों को स्थगन पर सुन लिया गया था इसके बावजूद भी समुचित आदेश पारित नही कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिये गये । आगे यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांकित 17.9.2019 "आदेश की परिभाषा में आता है तथा इसी कारण आदेश अपील योग्य होने से राज0काश्त0अधि0 की धारा 225 के तहत न्यायालय हाजा को अपील प्रस्तुत की गई है ।" आगे यह भी कथन किया कि रेस्पो0 अविधिक रूप से अपीलांटस के विधिक अधिकारों में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है तथा इसी कारण अधी0न्याया0 को अंतरिम अनुतोष प्रदान करना चाहिये था किन्तु उनके द्वारा मात्र नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.10.2019 दे दी गई । आगे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पो0 को अपील के निस्तारण तक पाबंद किये जाने हेतु आदेश प्रसारित करने हेतु निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.9.2019 का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने आदेशिका में अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को हेतुक दर्शित करने के लिये नोटिस जारी कर आयंदा तारीख पेशी दिनांक 11.10.2019 निर्धारित की है । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिका दिनांक 17.9.2019 से यह स्पष्ट जाहिर है कि अधी0न्याया0 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रभावी आदेश जारी नही किया गया है जिसकी अपील धारा 225 के तहत की जा सकती हो । अधी0न्याया0 द्वारा मात्र नोटिस जारी कर आयंदा तारीख पेशी नियत की गई है । अब्दुल रज्जाक बनाम शूरवीर सिंह 1979 आर0आर0डी0 पेज 175 में मान0 मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " कारण बताओं नोटिस के रूप में यदि कोई अंतरिम आज्ञा धारा 212 के तहत पारित की गई है तो वह आज्ञा अपील के काबिल नहीं है ।" उपरोक्त विवेचन के अनुसार एवं न्यायिक दृष्टांत के मध्यनजर जब अधी0न्याया0 द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रभावी आदेश ही पारित नही किया	लगातार
(signature) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर		

अजमेर
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3551/19/225 रामा बनाम प्रधान वगैरा

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/10 353 श्रीमती पूनम मादेर श्री	
लगातार	गया है तो ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को संधारण योग्य नहीं माना जा सकता है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट पोषणीयता के अभाव में बिना गुणावगुण पर टिप्पणी किये इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 27.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 27/9/19 राजस्व अपील अधिकारी	